लविवि में नेशनल आर्टिकल राइटिंग एंड डिबेट कंपीटिशन

ब्यूरो,लखनऊ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में डॉ अवतार सिंह मेमोरियल लेक्चर सिरीज के उदघाट्न समारोह तथा डॉ भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल नेशनल आर्टिकल राइटिंग एंड डिबेट कंपीटिशन के पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन हुआ। जिसके मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार, विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान, अन्य विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता नंदित कुमार श्रीवास्तव रहे। समारोह की शुरूआत प्रो. सी.पी सिंह छात्रों को डॉ. अवतार सिंह तथा इस लेक्चर सिरीज़ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यह लेक्चर संकाय के छात्रों एवं अन्य संबंधित विद्यालयों के छात्रों के लिए भी है। मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार एवं विशिष्ट अतिथि मोहम्मद फैज़ आलम खान ने डॉ. अवतार सिंह जी के बारे में बताया एवं अपना अनुभव को साझा कर छात्रों को प्रोत्साहित किया। अन्य विशिष्ट अतिथि नंदित कुमार श्रीवास्तव ने अपना छात्र जीवन के अनुभव का परिचय दिया । इस समारोह में प्रो. सी.पी सिंह ,संकाय अध्यक्ष प्रो.मोहम्मद अहमद,अतिरिक्त कुलानुशासक प्रो. डी.एन. एन.एस यादव, प्रोफेसर इंचार्ज डॉ. हरिश्चन्द्र, डॉ. अनुराग श्रीवास्तव, डॉ. आनंद विश्वकर्मा, डॉ अशोक कुमार श्रीवास्तव, पंच ऋषि देव शर्मा भी उपस्थित रहे।

लविवि में जेम पोर्टल पर खरीदारी का प्रशिक्षण

ब्यूरो,लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में बुधवार को जेम पोर्टल पर खरीदारी करने के विषय में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत सरकार के उत्तर प्रदेश के लिए जेम कंसलटेंट प्रवीण वाधवानी ने प्रशिक्षण दिया। इस आयोजन में लविवि के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, और निदेशक आदि मौजूद थे। प्रवीण वाधवानी ने बताया कि किस प्रकार हम जेम पोर्टल से खरीदारी कर सकते हैं। उसका राशि के अनुसार वर्गीकरण क्या है, टेंडर को कैसे अपनाया जा सकता है, आदि विभिन्न विषयों पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की गयी।

लविवि में छात्रों को बताये मौलिक अधिकार

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधिक सहायता केंद्र के लिए मौलिक अधिकारों कर्त्तव्योंए पोक्सो एक्ट एबच्चों और महिलाओं के अधिकारों एवं नागरिकता अधिकार पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सेंट मेरिज इंटर कॉलेज जानकीपुरमए लखनऊ 5 फरवरी 2020 को प्रोफेसर डॉक्टर सी.पी सिंह,डीन, विधि संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय और डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव,अध्यक्ष गौरव कुमार,जिला जज, एवं ,पूर्णिमा सिंह,डी.एल.एस.ए. सचिव के नेतृत्व में विधिक सहायता केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय ने सेंट मेरीज कॉलेज जानकीपुरम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मूल अधिकारों के बारे में जागरूकता लाना है विधिक सहायता केंद्र ने छात्रों के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया।आकाश शर्मा विधिक सहायता केंद्र के एक सदस्य ने छात्रों को संविधान और मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में बताया गया कि आखिर हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। विधिक सहायता केंद्र के एक अन्य सदस्य वैभव राज कश्यप ने मौलिक कर्त्तव्यों पर एक प्रस्तुति दी। विधिक सहायता केंद्र के वरिष्ठ सदस्य श्री पुनीत देशवाल ने पोक्सो एक्ट एजुनाइल जस्टिस के बारे मे बच्चो से बातचीत की ।डीएलएसए सचिव पूर्णिमा सागर ने डीएलएसए और फ्री लीगल एड के बारे में बच्चों को बताया एवं बच्चो को भविष्य की शुभकामनाएँ दी तथा जिला जज गौरव कुमार ने बच्चों को मौलिक अधिकारों तथा कुछ संवैधानिक जानकारी दी। गौरव कुमार ने बताया कि प्राधिकरण का उददेश्य है कि विधिक अधिकारो एवं कर्तव्यो की जानकारी समाज को देना है। गौरव कुमार ने अपने सम्बोधन में महिला हिंसा, महिला एवं बाल उत्पीडन, अधिनियम, बालश्रम, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाहए जुनाइल एक्टएसाइबर क्राइम की विस्तृत जानकारियां दी। उन्होने इन अधिनियमों में दण्ड प्राविधानो की जानकारी भी दी। उन्होने कहा कि हमें अपने आसपास शहर व देश मे क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हर क्षेत्र में जागरूक होकर अपने कानूनी अधिकारों को भी जानना चाहिए ताकि हम हर क्षेत्र में आगे बढ सके और जरूरत पडने पर कानूनी सहायता ले सके। उन्होने सभी लोगों से अपील की कि वे विधिक अधिकारो के प्रति स्वयं जागरूक होवें व दूसरो को भी जागरूक करें। गौरव कुमार ने कहा कि जागरूकता के लिए बच्चे अच्छे एवं विश्वसनीय माध्यम होते हैए वे अपने घर के साथ ही अपने आसपडोस को भी जागरूक करते है। साथ ही सचिव पूणिमा सागर ने कहा कि बच्चे उनके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की घटना एवं दुर्घटना की जानकारी अपने परिवार जनो को देंगे ताकि दोषियो को दण्ड मिल सके।उन्होने बताया कि एक लाख से कम की आय वालों को निशुल्क विधिक परामर्श दिये जाने की व्यवस्था है इनके माध्यम से ऐसे लोगो को अपना मुकदमा लडने के लिए निशुल्क सहायता दी जा रही है।